89

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

निग
II/पुनर्वि/रीवा/भू.रा./2017/
1611

1. राममिलन तनय स्व0 बाल्मीकराम ब्राम्हण निवासी ग्राम बेलदहा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0

2. दिनेश कुमार पिता राममिलन राम ब्राम्हण निवासी ग्राम बेलदहा तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0 **--निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम

मोतीलाल तनय स्व0 बाल्मीकराम ब्राम्हण (शर्मा) निवासी ग्राम बेलदहा, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 **-----------अनावेदक**

श्री सुनील कुमार तिवारी
द्वारा आज दि. 27-5-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन बिरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 03.04.2017 जो न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण क्रमांक आर-5360-दो/2016 मे पारित किया गया।

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा कैम्प कोर्ट सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 343/अपील/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 के बिरुद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 06.08.2016 को निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-5360-दो/2016 प्रस्तुत किया।

2. यह कि उपरोक्त निगरानी प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 17.01.2017 को ग्राह्यता बिन्दु पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

राममिलन शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो / रिव्यू / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1611

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 5360–दो / 2016 में पारित आदेश दिनांक 03.04.17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक दो / रिव्यू / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1611 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 5360–दो / 13 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 03.04.17 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण क0 दो / रिव्यू / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1611 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान	

प्रकरण कमांक दो/रिव्यू/~~सेवा~~ सीमांकन/भू.रा./2017/1611

होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य